'बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2002—फाल्गुन 24, शक 1923

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-1/2002/रास/यू-3.— अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1/2002/रास/यू-3.—दिनांक 1-3-2002 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, दिनेश नंदन सहाय, कुलाधिपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों की एक तालिका अनुशंसित करने के लिये गठित समिति में डॉ. ओम नागपाल के स्थान पर डॉ. डी. के. तनेजा, प्राचार्य, एम. जी. एम. मेडिकल कालेज, इन्दौर (म. प्र.) को सदस्य मनोनीत करता हूं.

2. यह समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में उक्त तालिका प्रस्तुत करेगी.

सही/-

(दिनेश नंदन सहाय)

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.